**प्रेस विज्ञप्ति**
**06.07.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने अलीराजपुर के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की जिसपर माननीय न्यायालय ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।

ईडी ने विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आबकारी विभाग में पदस्थ रहते हुए धर्मेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से असंगत संपत्तियां अर्जित किए जाने के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ख) के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की।

ईडी की जांच में आगे यह स्थापित हुआ कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने जानबूझकर अपराध से अर्जित आय को अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर उच्च मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों में निवेश कर अर्जित किया, अपने कब्जे में रखा, छिपाया तथा उसे वैध संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया। ये परिसंपत्तियां उनकी ज्ञात वैध आय के स्रोतों की तुलना में अत्यधिक असंगत थीं तथा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अनुसार अपराध से अर्जित आय हैं। जांच के दौरान चिन्हित एवं परिमाणित अपराध से अर्जित आय का कुल मूल्य **18.20 करोड़ रुपये** है।

ईडी द्वारा इससे पूर्व धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के अंतर्गत लगभग **18.20 करोड़ रुपये** मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया जा चुका है। कुर्क की गई संपत्तियों में नकदी, स्वर्ण एवं रजत, अचल संपत्तियां तथा अपराध से अर्जित आय से अर्जित अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।